REET 2025
LEVEL-2
वंदन बैच
POLITY
राष्ट्रपति
President
Part -2
LIVE
14-01-2024 07:00 PM

राष्ट्रपति

अनु. 57 → राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन

→ भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है।

→ लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता

अनु. 58 → राष्ट्रपति की योग्यता

- भारत का नागरिक
- 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो
- लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है।
- लाभ के पद पर ना हो

अनु. 59 → राष्ट्रपति की सेवा शर्तें

- → राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा
- → राष्ट्रपति के लिए बिना किराया का आवास होगा
- → राष्ट्रपति को निश्चित वेतन मिलेगा तथा कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति का वेतन कम नहीं किया जा सकता
- → वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन ⇒ **5 लाख प्रतिमाह**

अनु. 60 → राष्ट्रपति की शपथ

↳ राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश द्वारा या इनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायधीश द्वारा दिलाई जाती है।

अनु. 61 → **महाभियोग प्रक्रिया**

→ महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है।

→ यदि राष्ट्रपति संवैधानिक कदाचार या संवैधानिक उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है।

* ऐसा प्रस्ताव 14 दिन पूर्व सूचना के आधार पर सदन के 1/4 सदस्यों के समर्थन से संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है।

* यदि पहला सदन इस प्रस्ताव पर चर्चा करके 2/3 बहुमत से पास कर दे तो प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन में जाता है।
* दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है।
* इस समय राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि पेश होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।
* यदि दूसरे सदन ने जांच को सही पाया और प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर दे तो राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जायेगा।

* ऐसे सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनावों में भाग नहीं लिया लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लिया → राज्यसभा के मनोनीत सदस्य

* ऐसे सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनावों में भाग लिया परन्तु महाभियोग प्रक्रिया में नहीं → विधानसभा के सदस्य

Note: भारत में अब-तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है।

अनु. 64 → राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर नये राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर-भीतर करवा लिए जायेंगे

अनु. 65 → उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकता है।

→ जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा तब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के वेतन-भत्ते प्राप्त होंगे।

* यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायलय का मुख्य न्यायधीश करेगा

* मोहम्मद हिदायतुल्ला (सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य जज) ने 1969 में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया।